

विचार बिन्दु

सड़क में मुड़ाव होना, उसका खत्म होना नहीं है, जब तक कि आप स्वयं मुड़ने में विफल नहीं होते। –हेलेन केलर

दो विकल्पों में से किसी एक को हमें ही चुनना है!

भारत में वृद्ध आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। वृद्ध अर्थात वे जिनकी आयु साठ वर्ष या अधिक है। इस वृद्धि का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे यहां औसत आयु बहुत तेजी से बढ़ी है। सन् 2०1१ में जहां यह 67 वर्ष थी, 2025 में बढ़कर 7१.2 वर्ष हो गई है। एक मोटे अनुमान के अनुसार इस समय देश में लगभग १५ करोड़ वृद्ध हैं जो हमारी कुल आबादी का १०.५ प्रतिशत है। अनुमान लगाया गया है कि यह वृद्ध आबादी सन २0३० तक १८ करोड़, २047 तक ३4 करोड़ और २०५० तक 4० करोड़ हो जाएगी। इस बरस अर्थात सन् २०२५ में अस्सी पार के वृद्धों की संख्या १.७ करोड़ है जो 2०५० तक आते-आते ९ करोड़ हो जाएगी। इसे यों भी समझें कि अस्सी पार के वृद्ध पांच गुना बढ़ जाएंगे। और इसे इस तरह भी देखें कि अगले दस बरस में हर पांचवां भारतीय साठ बरस से अधिक उम्र का होगा।

अब कुछ और आंकड़ों पर भी नज़र डाल लें। भारत में लगभग ७१% वृद्धजन गांवों में रहते हैं। दूसरी बात, सन २०२४ में कम से कम २१% वृद्ध किसी न किसी रोग से पीड़ित थे। इसी के साथ यह बात भी जोड़ कर देख लें कि हमारे देश में केवल १८% वृद्धजन के पास कोई पेंशन है। अब यह बात और देखें कि भारत में सामाजिक संरचना बहुत तेज़ी से बदली है। संयुक्त परिवार लगभग विलुप्त हो चुके हैं। युवा रोजी-रोटी की तलाश में गांवों से शहरों में आ गए हैं या आ रहे हैं और उन्हें अपनी आजीविका के लिए एक से दूसरे स्थान पर जाते रहना पड़ रहा है। केवल वे जो निजी व्यवसाय करते हैं, एक जगह टिक कर रह पाते हैं, हालांकि उनमें से भी बहुत सारे अनेकानेक कारणों से अपना ठिकाना बदलने को विवश होते हैं, या उसे बदलने का चुनाव करते हैं। इन बातों की वजह से वृद्धजन का अपने बच्चों के साथ रह पाना कठिन होता जा रहा है। वे कहीं रहते हैं, उनके बच्चे कहीं और रहते हैं। एक तो बच्चों के लिए उन्हें हर जगह अपने साथ ले जाना सम्भव नहीं होता, और अगर वे ले भी जाएं तो वृद्धजन बहुत आसानी से नई जगह में अपने को समायोजित नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उनके पास यही विकल्प बचता है कि वे स्वतंत्र रूप से अकेले रहें और वे रहते हैं। शहरों में अकेले या एक दूसरे के सहारे रहने वाले वृद्धजन अब अपवाद नहीं रह गए हैं।

अब, वृद्धजन की अपनी समस्याएं होती हैं। उम्र बढ़ने के साथ-साथ वे अशक्त होते जाते हैं। अनेक रोग उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। पूरे समाज में ही अलगाव बढ़ता जा रहा है। सामाजिकता के तौर तरीके बदलते जा रहे हैं। लोगों का आपस में मिलना-जुलना कम होता जा रहा है। इसका सबसे अधिक प्रभाव इन वृद्धजन पर ही पड़ता है। जब उन्हें किसी सहयोग या सहायता की ज़रूरत होती है तो वह उन्हें उपलब्ध नहीं होती है। लेकिन ज़रूरतें तो होती ही हैं। वे तो स्थगित होती नहीं। कम भी नहीं होती। आपको बाज़ार से कुछ खरीददारी करनी है, दवा लानी है, बिजली या पानी का बिल जमा कराना है– ऐसे अनगिनत काम होते हैं। जब जवान थे तो दौड़-दौड़ कर ये सारे काम कर लिया करते थे। अब घर से बाहर निकलना भी जैसे बोझ महसूस होता है। उसे टालते रहते हैं। सोचते हैं कि दो-तीन काम इकट्ठे हो जाएंगे तब जाकर एक साथ कर लेंगे। लेकिन हर काम तो इस बात का इंतज़ार नहीं कर सकता। अगर कोई बिल जमा कराना है तो लास्ट डेटसे पहले कराना ही है। कहीं की यात्रा करनी है तो रिजर्वेशन कराना ही है। ऐसी अनगिनत बातें हैं।

यह बहुत अच्छी बात है कि हम तमाम तरह की चुनौतियों से जूझते हुए, टकराते हुए जी रहे हैं। हमारे मां-बाप जिस उम्र में तस्वीरों में बच रहे थे, उस उम्र को हम कभी का पार कर चुके हैं और ठाठ से जी रहे हैं। हमारा यह ठाठ बना रहे, हमारा जीवन सुगमतापूर्वक चलता रहे, अपनी समस्याओं को हम ख़ुद हल करते रहें और जीवन की परेशानियों के हल तलाश करके अपनी जीवन यात्रा को सुगम बनाते रहें, इसके लिए प्रयत्न हमीं को करने होंगे। हमारे पास दो ही विकल्प हैं - या तो परेशानियों का रोना रोते रहें, या उन्हें हल करने के प्रयत्न करते रहें! चुनाव हम को ही करना है!

रखने की ज़रूरत को बहुत ही कम कर दिया है। बैंक के सारे काम घर बैठे हो जाते हैं। ख़ुद मुझे अपने बैंक की शाखा में गए कम से कम पांच बरस तो हो ही गए हैं। अपनी पास बुक में अपडेट करता ही नहीं हूँ। और सच तो यह है कि बहुत सारे बैंकों ने पास बुक की व्यवस्था ही ख़त्म कर दी है। तब, तो उम्र बढ़ने की वजह से हमारे चलने-फिरने की सामर्थ्य में जो कमी आई है उसकी बहुत प्रभावशाली पूर्ति तकनीक ने कर दी है।

लेकिन जब मैं अपने हम उम्र साथियों से मिलता हूँ तो उनके पास शिकायतों और व्यथाओं की एक बड़ी पोटली होती है। यही व्यथा कि इस काम के लिए कहां जाएं और वह काम कैसे करवाएं। मैं जब उनसे कहता हूँ कि बहुत सारे काम आप तकनीक के माध्यम से करके अपनी व्यथाओं को कम कर सकते हैं, तो उनमें से अधिकांश का जवाब होता है, हमने तो पहले कभी इस तकनीक का इस्तेमाल किया ही नहीं! अब इस उम्र में नई चीज़ कैसे सीखें। मैं जिनसे तक कहता हूँ उन्हें कहता भी हूँ कि आप को सिखा देता हूँ। लेकिन वे सीखना भी नहीं चाहते। तर्क वही कि अब इस उम्र में मैं क्यों सीखें? मुझे बहुत अजीब लगता है! कहना तो चाहता हूँ लेकिन कह नहीं पाता कि इस उम्र में आप जी भी तो रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपने नया कुछ सीखा ही नहीं है, या सीख नहीं सकते हैं! हमारी उम्र के बहुत सारे लोगों ने मोबाइल चलाना सीखा ही है। जब वे जवान थे तब कहां था यह? तब तो वह टेलीफोन था जिसमें ऑपरेटर से नम्बर लगवाना पड़ता था। हमने टीवी चलाना, चैनल बदलना सीखा है, एसी चलाना सीखा है, हम मेट्रो में चढ़ना सीखे हैं। वॉट्सएप का इस्तेमाल वे घड़ल्ले से करते हैं। न जाने कितनी नई चीज़ें हमने सीखी हैं और लगातार सीख रहे हैं। फिर ऐसी चीज़ों को सीखने से हम क्यों कतराते हैं? जिनके सीख लेने से हमारी बहुत सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा! बहुत बार हम अजीब किस्म के बहाने भी करते हैं। एक हम उम्र मित्र बता रहे थे कि वे एटीएम कार्ड का उपयोग नहीं करते हैं। हर माह बैंक जाकर लाइन में खड़े रहकर पैसे लाते हैं! कारण पूछने पर बताया कि अगर कोई एटीएम कार्ड का दुरुपयोग कर ले तो? अब इसका क्या जवाब दे कोइ? आप बैंक से रुपये लेकर आ रहे हैं, कोइ छीन ले तो? कोइ टक्कर मार देगा, इस भय से आप सड़क पर चलना बंद तो नहीं कर देते हैं? तकनीक को लेकर भी लोग इसी तरह के अनेक भय सामने लाते हैं। देशक तकनीक के साथ बहुत सारे खतरे जुड़े हैं। शक्तिर लोग हमारे अज्ञान या असावधानी या दोषों का गलत फायदा उठाकर हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। लेकिन खतरे तो जीवन में हर जगह हैं! उनसे डर कर हम जीना तो नहीं छोड़ देते हैं! कोशिश करते हैं कि खतरों से बच कर निकल जाएं!

यह बहुत अच्छी बात है कि हम तमाम तरह की चुनौतियों से जूझते हुए, टकराते हुए जी रहे हैं। हमारे मां-बाप जिस उम्र में तस्वीरों में बच रहे थे, उस उम्र को हम कभी का पार कर चुके हैं और ठाठ से जी रहे हैं। हमारा यह ठाठ बना रहे, हमारा जीवन सुगमतापूर्वक चलता रहे, अपनी समस्याओं को हम ख़ुद हल करते रहें और जीवन की परेशानियों के हल तलाश करके अपनी जीवन यात्रा को सुगम बनाते रहें, इसके लिए प्रयत्न हमीं को करने होंगे। हमारे पास दो ही विकल्प हैं – या तो परेशानियों का रोना रोते रहें, या उन्हें हल करने के प्रयत्न करते रहें! चुनाव हम को ही करना है!

—अतिथि संपादक, डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल, (शिक्षाविद और साहित्यकार)

राशिफल

सोमवार १० नवम्बर, २०२५

मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष, षष्ठि तिथि, सोमवार, विक्रम संवत २०८२, पुनर्वसु नक्षत्र सायं ६:४८ तक, साध्य योग दिन ११:०५ तक, गर करण दिन १:०२ तक, चन्द्रमा आज दिन १:०३ से कर्क राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-तुला, चन्द्रमा-मिथुन, मंगल-वृश्चिक, बुध-वृश्चिक, गुरु-कर्क, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज कुमार योग सूर्योदय से सायं ६:४८ तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग सायं ६:४८ से सूर्योदय तक रहेगा। रवियोग सायं ६:४८ से आरम्भ होगा।
श्रेष्ठ चौघड़िया: अमृत सूर्योदय से ८:०४ तक, शुभ ९:२९ से १०:५० तक, चर १:३२ से २:५३ तक, लाभ-अमृत २:५३ से सूर्यास्त तक।
राहुकाल: ७:३० से ९:०० तक। सूर्योदय ६:४७, सूर्यास्त ५:३५ तक

आधार पहचान के लाभ, कठिनाइयां और कमियां



महावीर सिंह

२००९ में भारत सरकार ने आधार योजना के क्रियान्वयन के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (ऑथोरिटी)) यूआईडीआई (UIDAI) की स्थापना की। नंदन निलेकणि को इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इन्हीं के नेतृत्व में १२-अंकीय अद्वितीय पहचान संख्या की अवधारणा विकसित हुई।

कानूनी स्थिति:– संसदीय की वित्त स्थायी समिति (Standing Committee on Finance) की २०११-१२ की रिपोर्ट में समिति ने आधार को ल्टकाल कानूनी समर्थन प्रदान करने की सिफारिश। इस से संबंधित २०१० का विधेयक संसद में पारित नहीं हुआ था। आधार का मुख्य लक्ष्य नागरिकों की अद्वितीय पहचान सुनिश्चित करना था। समिति ने इसे ‘अनिश्चित और महंगा’ बताया।

संसदीय समिति की रिपोर्ट में इसकी प्रमुख अलोकचर्चाएँ भी बताई गई:– बायोमेट्रिक्स (फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन) पर आधारित प्रणाली को ‘अप्रमाणित और अविश्वसनीय’ कहा गया। बायोमेट्रिक स्टैंडर्ड्स कमिटी ने फिंगरप्रिंट संग्रह में उच्च त्रुटि दर (error rates) का उल्लेख किया था। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टडीज से १.२ अरब लोगों के लिए कम त्रुटि दर की गारंटी नहीं मिली।

समिति ने गोपनीयता, डेटा लीक और दुरुपयोग की चिंता भी उठाई गई थी। यह भी बताया कि इस के उपयोग से सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभों से वंचित होने (exclusion errors) की समस्या सामने आई है, जैसे बुजुर्गों या श्रमिकों के बायोमेट्रिक डेटा के मिलान में बड़ी संख्या में असफलता को रेखांकित किया था।समिति ने आधार के संभावित लाभों ने लोगों का जीवन बहुत सुगम बना दिया है। आपको किसी सामान की जरूरत है, ऐसी अनेक सेवाएँ हैं जो दस मिनट से भी कम समय में वह सामान आपको उपलब्ध करा देती है। आप खाना खाने बाहर नहीं जाना चाहते तो बाहर का खाना आपके घर पहुँचा दिया जाता है। यूपीआई के चलन ने नकद धन राशि आपसे पास

इस रिपोर्ट के बाद आधार विधेयक को संशोधित कर २०१६ में आधार (लक्षित वितरण) अधिनियम पारित हुआ। सुप्रीम कोर्ट के २०१८ के फैसले में भी इस समिति की सिफारिशों, आशंकाओं को रेखांकित किया है। इस फैसले में आधार के कुछ प्रावधानों (जैसे प्राइवेट कंपनियों से लिंकिंग) को असंवैधानिक घोषित किया गया।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्थायी संसदीय समिति की सातवीं रिपोर्ट (मार्च २०२५) में आधार-लिंकड डिजिटल पेमेंट्स (AePS) में बढ़ते वित्तीय धोखाधड़ी और डेटा सुरक्षा जोखिमों पर चिंता जताई गई। समिति ने साइबर सुरक्षा मजबूत करने और डेटा संरक्षण उपायों की सिफारिश की।

आगे बढ़ने से पहले यह बताना जरूरी है कि आधार जब इतना जाना पहचाना, उपयोग में आने वाला पहचान का प्रमाण बन चुका है तो इस पर लिखने की क्या आवश्यकता है? पिछले महीने भर से आधार से जुड़ी कई हैरान करने वाली खबरें पढ़ने में आई हैं। जैसे इसका

दुरुपयोग कर दूसरे लोगों के बैंक से डेटा चुराकर, उनके खातों से पैसे चोरी करना, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लाभ को हड़प लेना। इनेक्टिव बैंक खातों को एक्टिव कर उनमें दूसरों के हक या उनके खातों से चुराए पैसे डाल कर धोखाधड़ी करना। आधार में गांव मोहल्ले के नाम, स्वयं के नाम और माता-पिता के नामों में त्रुटि से बैंक लेनदेन बाधित होना इत्यादि- इत्यादि। पाठकों की सुविधा के लिए कुछ समाचारों का सारांश दिया जा रहा है ताकि पाठक समस्या की गंभीरता व व्यापकता को समझ सकें:–

१. “सरकारी योजनाओं पर डाका –-सिस्टम के भीतर सिस्टम --पोर्टल पर अफसरों, किसानों की फर्जी आइ डी ये”....“पटवारी से लेकर कलेक्टर तक की फर्जी आइडी”.....” स्टेट नोडल ऑफिसर के ऑफ़ेटर व कलेक्ट्रेट कर्मचारी शामिल'।

२. “सरकारी योजनाओं में ठगी – देश भर में १२६५ अफसरों के लॉगइन से ४ लाख संदिग्ध खातों में करोड़ों रुपए भेजे”.....“१५०० से अधिक एसएसओ आइडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आइडी हैक किए, किसी विभाग के पोर्टल में ओटीपी शेयरिंग सिस्टम की खामीं का लाभ उठाकर संदिग्ध बैंक अकाउंट जोड़े -- सुरक्षा योजनाओं की राशियों का अपराध लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरण व निकासी –गुजरात के दो लख, राजस्थान के ५५ हजार, आसाम के ४० हजार लोगों के डाटा, आधार का दुरुपयोग --बंद खातों में राशि हस्तांतरण, निकासी”।

आधार योजना के बहुत सारे लाभ हैं जिन से आम आदमी भी परिचित है जैसे कि सरकारी योजनाओं के नकद लाभ का बिना बिचौलियों के, लाभार्थी के बैंक खाते में जाने का प्रमाण। आधार लिंकिंग की वजह से सामाजिक सुरक्षा, जन कल्याण से जुड़ी सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ जैसे सब्सिडी, पेंशन, छात्रवृत्ति, मनरेगा मजदूरी आदि सीधे बैंक खाते में जाने से भ्रष्टाचार में कमी भी आई है। लेकिन यह भी सही है कि सही की जगह गलत बेनिफिशियरी (लाभार्थी) लोगों के खातों में राशि डालने से सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है। इस से कर प्रणाली में पारदर्शिता आई है। आयकर रिटर्न, जीएसटी रजिस्ट्रार में इसके अनिवार्य उपयोग और पैन कार्ड और आधार लिंक से कर चोरी रोकने में मदद मिली है।

जन धन खाता-आधार-मोबाइल (JAM) के संयुक्त उपयोग से वित्तीय समावेशन बढ़ा। E KYC SE बैंक खाता खोलना आसान हुआ है। जन धन योजना में लाखों खाते आधार से खुले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग पहुंच बढ़ी। माइक्रो-एटीएम, आधार पे से नकद रहित ले